Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

॥ ओ३म्।।

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Brief Report

Brief Report of Project / Field/ Internship Work (1.3.3)

Name of the Project Undertaken	" Adhikar ki report ”	
Academic Session	2023-24	
Organizing Department/ Committee	political science	
Total Number of Students Participated in the Project	16	
Brief Report	The Project entitled - " Adhikar ki report" undertaken by the Department of political science during the session of 2023-24 under the guidance of Internal Quality Assurance Cell of the Institution. Total 10 students participated in the project activity and successfully completed the project. The completion certificate has been given to the students. All students found it very interesting to learn through the experiential learning. They enjoyed the project work.	
Criterion :1	Metric no-1.3.3	
Signature of Co-Ordinator	Signature & Stamp of IQAC Co-Ordinator	Signature of & Stamp of Principal

Ph.: Off.: 2633233/2955977
aryawani.ngp@gmail.com

॥ ओ३म्।।

दयानन्द आर्य कन्या महाविद्यालय

आर्य विद्या सभा द्वारा संचालित
(Regd. under Societies Act. XXI)
जरीपटका, नागपुर ४४००१४.

Students Information

S.N.	Name of Student	Program	Class
01.	Vidya M. Gupta	B. A	II year
02.	AFSHA AJU SHEIIKH	B. A	II year
03.	ANJALI KUMARI KRISHNA CHAUDHARY	B. A	II year
O4.	ANJALI SURAT SINGH	B. A	II year
05.	ANKITA SHIVRAJ THAKUR	B. A	II year
06.	APARNA RAVI YADAV	B. A	II year
07.	BALPREETKAUR GURUNAM SING VADAN	B. A	II year
08.	CHANDANI VIJAY NARAYAN	B. A	II year
09.	DEEKSHA DEEPAK PARWANI	B. A	II year
10.	DIPTI ASHOK TARAR	B. A	II year
11.	SHWETA DEEPAK VEDULWAR	B. A	II year
12.	GEETA RUKKAN HARINKHEDE	B. A	II year
13.	GUDIA AVADESHPRASAD SHUKLA	B. A	II year
14.	GUNGUN PIRAMOD POTPHODE	B. A	II year
15.	JANIVI SACHIN GAJBHIYE	B. A	II year
16.	JYOTI KAILASH TAJNE	B. A	II year

Front Page of Project

B A II

"अधिकार"

Dayanand Arya Kanya Mahavidyalayan

Subject - Political Science

Class - B. A. II-year, Sem - III

Session - 2023-24

Project Submited by -

Vidya. M. Gupta

ARYA VIDYA SABHA'S

DAYANAND ARYA KANYA MAHAVIDYALAYA

Jaripatka, Nagpur.

'Political Science project'

Organised By

Department of project

CERTIFICATE

This is to certify that project work in the subject political science : entitles Pol. Sci. Adhikar ki reporthsa been successfully completed by ku. Vidya Gupta of B.A II Year during the Academic session 2023 - 24 Hence the certificate is awarded to her.

Co-Ordinator	**Principal**
Dr. – Babita Thool	**Dr. Chetna Pathak**
Dept. of Pol. Sci	**DAKM, Nagpur**

Project Copy

Page No.
Date

अनुक्रमणिका

क्रमांक	घटक के नाम	पृष्ठक्रमांक
1	विषय का चुनाव	1
2.	उद्देश्य	2
3.	प्रस्तावना	3
4.	अर्थ और परिभाषा	4 - 7
5.	निष्कर्ष	8
6.	संदर्भ	9

अधिकार

विषय का चुनाव =

मैंने 'अधिकार' इस विषय का चुनाव किया है. अधिकार क्या है? अधिकार क्यों दिए गए? आदि सभी बातों से संबंधित विचार मेरे मन में आने के बाद ही मैंने इस विषय का चुनाव किया है। मेरा उस विषय को लेने का ध्येय यह है कि मैं अधिकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करके इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकूं। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन मैं आज इस विषय की संपूर्ण जानकारी लेने जा रही हूं क्योंकि वो कहते हैं, किसी भी काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अधिकार के बारे में सभी जानकारी एक-एक कर के विस्तार से समझूंगी ताकि मैं इसे लोगों तक पहुंचा सकूं।

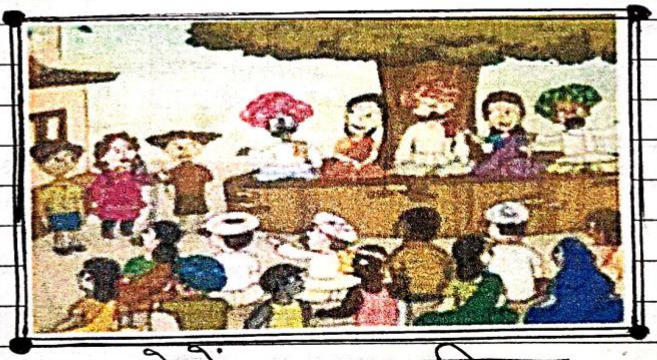

लोगों का अधिकार

उद्देश्य =

1] मानव का अधिकार क्या है, यह जानना।

2] अधिकार की अर्थ और परिभाषा जानना।

3] कौन-कौन-से संशोधन के अंतर्गत कौन से अधिकार दिये गये है, यह जानना।

4] अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है, यह जानना

5] अधिकार के महत्व को जानना।

6] अधिकार किन धर्मो को दिये गये है, इसे जानना।

7] निष्कर्ष।

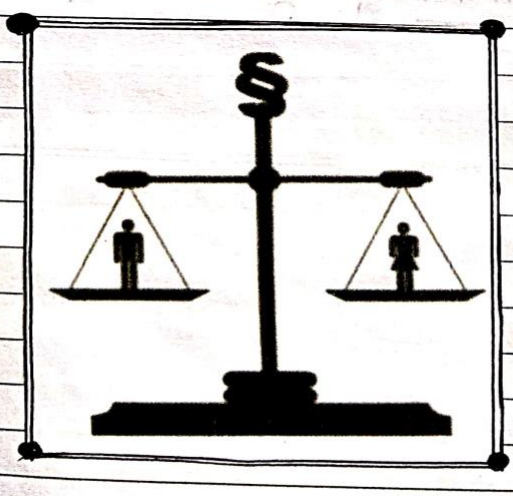

प्रस्तावना =

प्रकृति ने कुछ अधिकार मनुष्यों को जन्म से ही प्रदान किए हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार हैं। यह अधिकार प्रत्येक मनुष्य को अपने लिंग, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आजाद करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिकों को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिये जाते हैं, जिन्हें मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है।

अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। संक्षेप में अधिकारों के बिना मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता।

"एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। जिस समाज में जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते हैं, वह समाज उतना ही अधिक प्रगतिशील माना जाता है।

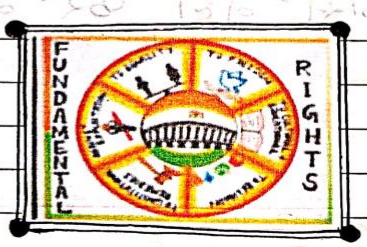

अर्थ और परिभाषा :-

अधिकार वह है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा ही अधिकार है। इनके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल हैं।

अपनी उन्नति के लिए मनुष्य को एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इस परिवेश को उत्पन्न करना और बनाए रखना समाज और राज्य का कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को अधिकार कहा जाता है।

विभिन्न विद्वानों ने अधिकार की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है।

1] लास्की के अनुसार :- "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं, जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।"

3) ग्रीन के अनुसार :- "अधिकार वह शक्ति है, जिसकी माँग लोककल्याण के लिए की जाती है, और जिसे इसी आधार पर मान्यता भी प्राप्त होती है।"

4) मैक्कन के अनुसार :- "अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभकारी परिस्थितियाँ हैं, जो नागरिक के समुचित विकास के लिए आवश्यक है।"

भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक मनुष्य को छह मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है।

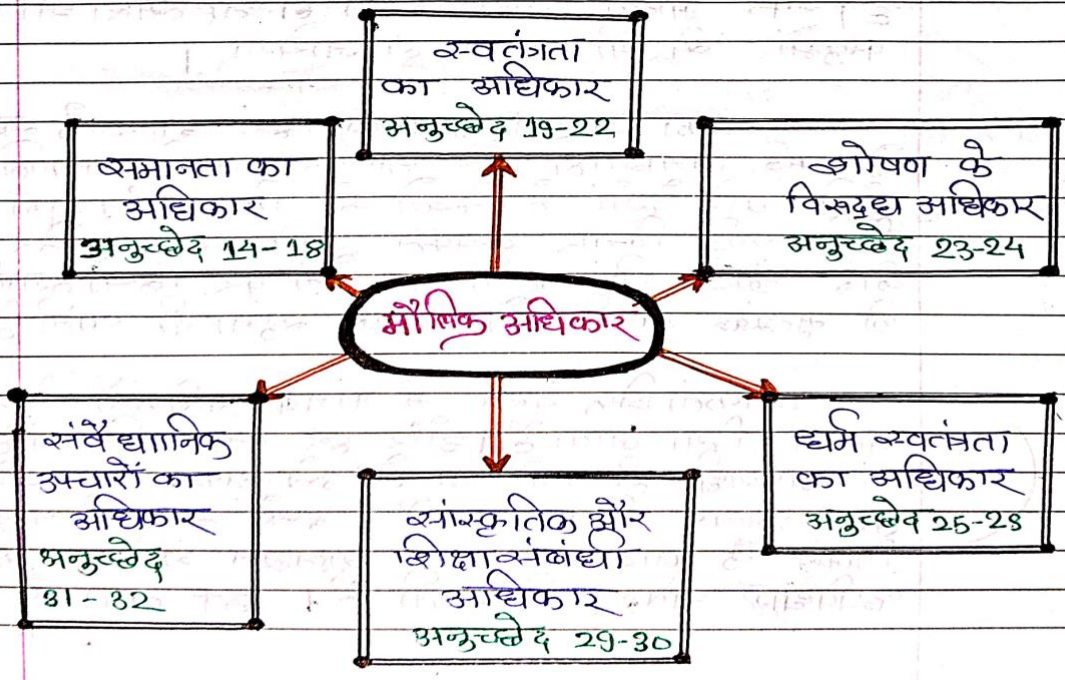

10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। उसी दिन 30 अनुच्छेदों वाला सार्वभौमिक अधिकार का घोषणा पत्र भी जारी हुआ। तब 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा ताकि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग अपने को जान सके और उनका प्रयोग कर सके।

यदि हम अधिकार के महत्त्व की ओर देखे तो बिना अधिकारों के हम पर तमाम अत्याचार किये जा सकते हैं और बिना किसी भय के हमारा शोषण भी किया जा सकता है। यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन पशुओं से भी बत्तर हो जायेगा।

इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आज के समय में कई तानाशाही और धार्मिक रूप से संचालित होने वाले देशों को देखने को मिलता है। जहाँ सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने पर या फिर कोई छोटी सी गलती कर देने पर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा सुना दी जाती है।

लोकतांत्रिक देशों में मानव अधिकारों को काफी महत्त्व दिया जाता है। और हर एक व्यक्ति चाहे कि वह अपराधी ही क्यों ना हो उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही सजा मिलने के बाद भी उन्हें मूलभूत अधिकार की सुविधाएँ अवश्य दी जाती है। इस बात से

से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकार हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं।

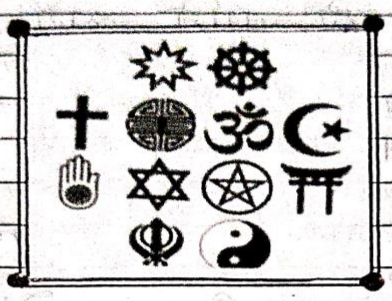

संविधान में किसी भी धर्म को कम या ज्यादा नहीं माना है। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत सभी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जीवन स्थिति को मद्देनजर न करते हुए सभी के सारे अधिकार दिये गये हैं।

सभी व्यक्ति अपने हित के लिए किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष =

मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं, जो सभी को लिखित रूप से प्रदान किये गये हैं। मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किया जा सकता

संविधान में व्यक्त समानता का अधि भारत गणराज्य में लोकतंत्र की संस्था के प्रति एक ठोस कदम के रूप में है। भारतीय नागरि को इन मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के माध्यम से आश्वासन दिया जा रहा है कि वे जब तक भारतीय लोकतंत्र में रहेंगे तब तक वे अपने जीवन को सद्भाव में जी सकते हैं